



पत्र नहीं मित्र

# देशबन्धु

नई दिल्ली, शुक्रवार, 2 अगस्त, 2024 | वर्ष-17 | अंक-118 | पृष्ठ-10 | मूल्य - 3.00 रुपए

मेरां डॉ. शैली ओबरॉय ने  
दिल्ली में जल भराव...

सार संक्षेप

पूजा खेड़कर की  
अग्रिम जमानत  
याचिका खारिज

**नई दिल्ली।** भारतीय प्रशासनिक सेवा की पूर्व प्रशिक्षण पूजा खेड़कर को गुरुवार को एक और झटक लगा जब दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएसटी) सिविल सेवा परिकाशा, 2022 के लिए आवेदन में कठिन रूप से तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने से संबंधित शिकायत के परिप्रेक्ष्य में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

जम्मू-कश्मीर के  
सांबा में पाकिस्तानी  
घुसपैठिया ढेर

**जम्मू।** जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर सीमा सुरक्षा बल (वीएसएस) के सतर्क जवानों ने पुस्पैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिया को जाल में घुसपैठ की कोशिश को जानवों ने नाकाम कर दिया। इस दौरान जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिया को जाल में घुसपैठ की कोशिश को जानवों ने नाकाम कर दिया।

नीट पेपर लीक  
मामले में तीन  
आरोपी गिरफतार

**भुवनेश्वर।** नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई तीजी से कार्रवाई कर रही है। सीबीआई ने पेपर लीक मामले में भुवनेश्वर से तीन और लोगों को गिरफतार किया है। बातों जा रही है कि गिरफतार किए गए तीनों आरोपी रंजित कुमार, अमित प्रसाद और धीरेंद्र कुमार सेटर जैंग के सदस्य हैं। सीबीआई को पेपर लीक मामले के तार ओडिशा से जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं।

कन्नड़ सुपरस्टार  
दर्शन की व्यायिक  
हिरासत 14 तक बढ़ाई

**बैंगलुरु।** जेल में बंद कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन व उसके सहयोगीों की व्यायिक हिरासत 14 अगस्त तक बढ़ा रही गई है। रेणुकास्यामी हत्याकांड के आरोपी दर्शन, उसकी पार्टीनर पवित्रा गोड़ा व अन्य को गुरुवार को बैंगलुरु सेंट्रल जेल से वीडियो कॉम्फेस के लिए 24वें अविहित मुख्य मेंट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) की अदालत में पेश किया गया।

हिजबुल्लाह के शीर्ष  
कमांडर का शव  
मलबे में मिला

**बैंगलुरु।** इंजारायली हमले में मंगलवार के मारे गए हिजबुल्लाह के शीर्ष सैन्य कमांडर फोद शेकोप का शव बैंगल ते दहिए हैं में मलबे के नीचे मिला है। इंजारायली द्वारा ने मंगलवार शाम को शूरा कार्यसिल के नजदीक एक फोद शेकोप का शव बैंगल ते दहिए हैं में मलबे के नीचे मिला है। इंजारायली द्वारा ने मंगलवार शाम को शूरा कार्यसिल के नजदीक एक फोद शेकोप का शव बैंगल ते दहिए हैं में मलबे के नीचे मिला है।

02:

शहर में सीसीटीवी की निगरानी में होंगे जलभराव प्लॉट्स  
सीईओ ने तीन गांव में 14 खसरों पर बने अवैध ...

04:

भारत, जापान में बौद्ध धर्म की साझी विरासत दोनों...  
सरकार ने किसानों की हालत सुधारने के लिए ...

07:

ट्रूशन छात्रों के लिए बन गया है एक जरूरी ...

10

संसद की छत टपकने पर विपक्ष का तंज

आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

## सुप्रीम कोर्ट ने कोटे के अंदर कोटे को दी मंजूरी

आरक्षण के लिए एससी, एसटी का उप वर्गीकरण कर सकती हैं सरकारें

एक सब-कैटेगरी को 100  
फीसदी आरक्षण नहीं

पीट ने छह अलग-अलग फैसले में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत जारी राष्ट्रीय अधिकारी ने एससी-एसटी में कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दे दी है। यानी एससी-एसटी कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दे दी है। यानी एससी-एसटी कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दे दी है।

मुख्य न्यायाधीश डॉ वाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति बेला एम विक्रेदी, न्यायमूर्ति पंकज मिश्र और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की संविधान पीठ ने छह-एक बहुत बाले अपने फैसले में पंजाब के अलावा तमिलनाडु और अन्य राज्यों में इस तरह के उप-वर्गीकरण के लिए कानून की वैधता को बहकर रखा। न्यायमूर्ति विक्रेदी ने बहुत बाले एवं बांटा विधान समूह हैं, जिन्हें आगे किसी उप-समूह या वर्गीकरण स्वीकार नहीं जा सकता है। इंवी चिन्हाया के फैसले में

### क्रीमी लेयर की हो पहचान

न्यायमूर्ति गवई ने एक अलग फैसले में कहा कि राज्यों को एससी और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सदस्य एक समान समूह हैं, जिन्होंने दुप्रीचय के लिए फैसले द्वारा लिखते हुए व्यायमूर्ति विक्रेदी ने कहा कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 2010 के फैसले को चुनौती दी गई थी।

समान होगा और यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। 2020 में न्यायमूर्ति अलग मिश्र (अब सेवानिवृत) की अधिक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था।

कि इन्हीं चिन्हाया फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा दोबारा विचार किए जाने के जरूरत है।

समान होगा और वारिश और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को चुनौती दी गई थी।

कि इन्हीं चिन्हाया फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा दोबारा विचार किए जाने के जरूरत है।

समान होगा और वारिश और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को चुनौती दी गई थी।

कि इन्हीं चिन्हाया फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा दोबारा विचार किए जाने के जरूरत है।

कि इन्हीं चिन्हाया फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा दोबारा विचार किए जाने के जरूरत है।

कि इन्हीं चिन्हाया फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा दोबारा विचार किए जाने के जरूरत है।

कि इन्हीं चिन्हाया फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा दोबारा विचार किए जाने के जरूरत है।

कि इन्हीं चिन्हाया फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा दोबारा विचार किए जाने के जरूरत है।

कि इन्हीं चिन्हाया फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा दोबारा विचार किए जाने के जरूरत है।

कि इन्हीं चिन्हाया फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा दोबारा विचार किए जाने के जरूरत है।

कि इन्हीं चिन्हाया फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा दोबारा विचार किए जाने के जरूरत है।

कि इन्हीं चिन्हाया फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा दोबारा विचार किए जाने के जरूरत है।

कि इन्हीं चिन्हाया फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा दोबारा विचार किए जाने के जरूरत है।

कि इन्हीं चिन्हाया फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा दोबारा विचार किए जाने के जरूरत है।

कि इन्हीं चिन्हाया फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा दोबारा विचार किए जाने के जरूरत है।

कि इन्हीं चिन्हाया फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा दोबारा विचार किए जाने के जरूरत है।

कि इन्हीं चिन्हाया फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा दोबारा विचार किए जाने के जरूरत है।

कि इन्हीं चिन्हाया फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा दोबारा विचार किए जाने के जरूरत है।

कि इन्हीं चिन्हाया फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा दोबारा विचार किए जाने के जरूरत है।

कि इन्हीं चिन्हाया फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा दोबारा विचार किए जाने के जरूरत है।

कि इन्हीं चिन्हाया फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा दोबारा विचार किए जाने के जरूरत है।

कि इन्हीं चिन्हाया फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा दोबारा विचार किए जाने के जरूरत है।

कि इन्हीं चिन्हाया फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा दोबारा विचार किए जाने के जरूरत है।

कि इन्हीं चिन्हाया फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा दोबारा विचार किए जाने के जरूरत है।

कि इन्हीं चिन्हाया फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा दोबारा विचार किए जाने के जरूरत है।

कि इन्हीं चिन्हाया फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा दोबारा विचार किए जाने के जरूरत है।

कि इन्हीं चिन्हाया फ





हरियाणा सरकार

# म्हारा हरियाणा

## ताँन-स्टॉप हरियाणा

### हम हरियाणावी

अब अत्याधुनिक हाई-वे पर दौड़ते हैं

40 हाई-वे और एक्सप्रेस-वे हरियाणा से होकर गुजरते हैं

₹10,646 करोड़ की लागत से  
अम्बाला-कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर (152-डी) का निर्माण पूर्ण

पिछले 10 वर्षों में ₹40,000 करोड़ की लागत से 1350 कि.मी. लंबे  
राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

1069 कि.मी. लंबे 11 नए नेशनल हाई-वे का निर्माण जारी

डबल इंजन सटकाट  
सड़कों का सुधार लगातार



















